

पीठासीन अधिकारी महा.राजकीय दौरे/
कानून व्यवस्था / प्रोटोकॉल सज कार्य में
व्यस्त होने के कारण दिनांक 28/11/21
के राजस्व मुकदमा में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 31/11/21
नियत की जाती है।

पीठासीन अधिकारी महा.राजकीय दौरे/
कानून व्यवस्था / प्रोटोकॉल सज कार्य में
व्यस्त होने के कारण दिनांक 31/11/21
के राजस्व मुकदमा में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 23/12/21
नियत की जाती है।

पीठासीन अधिकारी महा.राजकीय दौरे/
कानून व्यवस्था / प्रोटोकॉल सज कार्य में
व्यस्त होने के कारण दिनांक 23/12/21
के राजस्व मुकदमा में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 12/10/21 (caust)
नियत की जाती है।

पञ्जावली कानून व्यवस्था में लगे अधिकारी
श्री श्री शिखर शर्मा पञ्जावली कोष का हेरा ड्रॉ
प्रकरण में तहसीलदार, जौनपुर का बच्चा का
रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार हेरा ड्रॉ है -

- 1) पहलू है साबिक जहाबंदी संवत् 2043-46
के तहत सं. 257 के अनुसार राजस्व लाद
इस हजारी जाति बीना के गत साबिक
सं. 140-रन्दा पञ्जावली के विषय

प्रमाण पत्र

अनुसार हाल रकम नं. 1814 रकम 0.38
 वादी के गत दर्प है, जो कि गत जमावंदी
 की तुलना में 1.09 है कर है।

3. यह है कि स्वामी बचोवद 26/5/17/3
 मिडलर हाल नं. 4

3. यह है कि स्वामी बचोवद के अनुसार
 साबिक रकम नं. 140, 140 तुल रकम
 $\frac{20}{23}$
 5 बीघा 10 खिल्ला के अन्वय रकम नं. 1814
 रकम 0.38 है बनाया गया है। तब साबिक
 रकम नं. 1 से हाल रकम नं. 113 रकम 1.20 है

बना है, जिसकी किताब साबिक है, जो कि वादी
 के अन्वय है।
 वादी का गत जमावंदी में दर्ज रकम
 की तुलना में 1.09 है शरी कर दी है लेकिन
 वादपत्र में क्वचित रकम नं. 113, जो कि साबिक
 है, साबिक रकम नं. 1 से बना है न कि साबिक

स्वातेदारी रकम नं. $\frac{140}{2}$ व $\frac{140}{23}$ से नहीं बनाई
 बल्कि केवल अन्वय के आधार पर स्वातेदारी
 दिया जाना उचित नहीं होगा।

इसने रिपोर्ट तहसीलदार चौधरी का बखाना
 एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवलोकन
 व मनन किया - कि वादपत्र में क्वचित रकम 113
 किताब साबिक रकम नं. 21/1/1 से बना है न
 कि साबिक रकम नं. $\frac{140}{2}$ एवं $\frac{140}{23}$ से। केवल
 अन्वय के आधार पर स्वातेदारी नहीं दी जा सकती।
 अतः के पत्रावली स्वामिन किया जाना उचित
 साक्ष्यता है। अतः तहसीलदार चौधरी का
 बखाना की रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली स्वामिन
 की जाती है। पत्रावली के अन्वय के अन्वय वाद
 तहसील दाखिल दफ्तर है। इसी विधि द्वारा मिदलर
 उमगत धारा के वाद वापर करने के उचित देगा।



शिविर प्रभारी एवं
 उपकार्य अधिकारी
 चौधरी का बखाना